



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना मेरापुर

दिनांक :- 12.11.2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 146/2025 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP
ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2025 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम चन्दुईया थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रदीप कुमार पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम चन्दुईया थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- दिनांक 26.10.2025 को वादी रामशंकर मिश्रा पुत्र प्यारेलाल मिश्रा निवासी ग्राम बिल्हा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मेरापुर पर अभियुक्तों द्वारा वादी की भतीजी से अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना व हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT बनाम 1.प्रदीप आदि 05 समस्त नि0गण ग्राम चन्दुईया थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 146/2025 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अजय सिंह
2. उ0नि0 श्री अक्षय कुमार
3. का0 अभिषेक कुमार
4. का0 राहुल कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



थाना कमालगंज

दिनांक - 12.11.2025

**एसओजी/सर्विलांस/थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी से सम्बन्धित
वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को
हिरासत में लिया गया ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2025 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त 1-मोहित 2-बालअपचारी को एक लोडर महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप नंबर UP 76 T 5834 मे लदे माल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोहित पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
2. बाल अपचारी

घटना का विवरण:- दिनांक 29.10.2025 को आवेदक श्री अनीस अहमद पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम नगला दाऊद थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद के प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा रात्रि मे वादी की दुकान मे ताले तोडकर दुकान में रखा सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कमालगंज पर दिनांक 29.10.2025 को मु0अ0सं0 365/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 12.11.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आये अभियुक्त 1-मोहित उपरोक्त व 01 बालअपचारी को मुखबिर खास की सूचना पर बघार नाला की पटरी के पास एक लोडर महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप नंबर UP76T5834 मे लदे माल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मौके का फायदा उठाकर 04 नफर अभियुक्त मौके से भाग गये। अभियुक्त व बालअपचारी उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त मोहित उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब हम सोलर प्लेट लगाने का कार्य करते है तथा हमारा एक गैंग है जिसमें हम कई लोग शामिल है। दिन में हम सोलर प्लेट लगाते है तथा कुछ दिन बाद चोरी कर लेते है। हम लोग रात मे अलग-अलग स्थानों पर चोरी करते है , हम लोग विशेषतया हार्डवेयर की दुकान को टारगेट करते थे। अभियुक्त मोहित उपरोक्त ने पूछताछ के क्रम में बताया कि हमने दिनांक 03/04 अगस्त की रात्रि में थाना नवाबगंज क्षेत्र में तथा दिनांक 30/31 अक्टूबर की रात्रि में थाना शमसाबाद क्षेत्र में भी चोरी की थी। आज हम चोरी का सामान बेचने के लिए जा रहे थे तो आप लोगो ने पकड़ लिया। साहब हमसे गलती हो गई , अन्य बयान अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय मे देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक लोडर महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप नंबर UP76T5834
02. 24 बंडल बान प्लास्टिक
03. 32 बंडल बान रेशम के
04. 20 बंडल रस्सी , 02 बंडल प्लास्टिक का रस्सा व 01 बंडल रबड का रस्सा
05. 72 प्लास्टिक के मग
06. 10 एवर फ्रेश क्लिंग फिल्म (100 मीटर वाली)
07. 01 बोरी पन्नी,

08. 58 बंडल खटिया बनाने वाले निवाड के बान
09. 22 तिरपाल छोटी-बड़ी अलग-अलग रंग की
10. 11 तिरपाल काली पन्नी की, 02 तिरपाल सफेद पन्नी की,
11. 01 बड़े पर्दे की पॉलीथीन का बंडल
12. 05 छोटे बड़े बंडल झाल के
13. 03 बंडल रेग्जीन तिरपाल पीली व ग्रे कलर की
14. 06 बड़े बैटरा
15. 02 इनवर्टर
16. 01 सोलर प्लेट इनवर्टर बड़ा वाला
17. 01 सोलर प्लेट

अभियुक्त मोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 305/331(4)/317(2)थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 214/2025 धारा 305(A)/331(4)BNS थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 191/2025 धारा 305 BNS थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़

बाल अपचारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 305/331(4)/317(2)थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 214/2025 धारा 305(A)/331(4)BNS थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 191/2025 धारा 305 BNS थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री हाकिम सिंह
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार
3. का0 सचिन कुमार
4. का0 मोहन लाल

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम

1. प्रभारी उ0नि0 श्री सचिन चौधरी
2. हे0का0 करन यादव
3. हे0का0 बलवीर सिंह
4. का0 धर्मेन्द्र सिंह
5. का0 विकास चन्द्र
6. का0 दिव्याशुं
7. का0 विनोद कुमार

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम:-

1. प्रभारी उ०नि० श्री सन्तकुमार
2. क०आ० अमित कुमार
3. मु०आ० सन्दीप सिंह,
4. मु०आ० अनुराग कुमार,
5. मु०आ० सचेन्द्र सिंह,
6. का० राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़

कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक- 11.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सचिन पुत्र स्व० भूरेलाल उर्फ राजाराम निवासी टिकुरियन नगला कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० 47/2022 वाद संख्या 1192/2022 धारा 302 भादवि० कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय जिला जज न्यायालय फरुखाबाद द्वारा दिनांक 11.11.2025 को अभियुक्त को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया



डी०जी०सी० - श्री सुदेश प्रताप सिंह



को० मो० हे०का० सुदेश यादव



पैरोकार का० धर्मेन्द्र सिंह



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फर्रुखाबाद



#Fatehgarhpolice



मिशन शक्ति 5.0

मिशन
शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं



थाना अमृतपुर

Fatehgarh police



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फतेहगढ़



#Fatehgarhpolicе





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



[#MissionShakti](#)

थाना कादरीगेट





मिशन शक्ति 5.0



थाना कम्पिल





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



गरी सुरक्षा, गरी सम्मान, गरी स्वावलम्बन



थाना कमालगंज



[#MissionShakti](#)



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली कायमगंज



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन



#Fatehgarhpolice

महिला थाना



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली मोहम्मदाबाद



Fatehgarh police



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला सुरक्षा
महिला सम्मान
महिला उत्थान



थाना शमसाबाद





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना राजेपुर

Fatehgarh police



मिशन शक्ति 5.0



थाना नवाबगंज